email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन/फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – 111 /12-1(54) मुनिकीरेती, दिनांक– 17 / 07 / 2019

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नगुण से धरासू एवं कल्याणी से नालूपानी तक लम्बाई 19.4 कि0मी0 मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.582 हे0 वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।(FP/UK/Others/31137/2018)**

सन्दर्भ :– आपके द्वारा ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक–14.06.2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाईन आपत्ति इंगित की गयी है कि ***"CF may clarify, whatever this RoW --right of way-- has approved under FC clearance at the time of construction"*** के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑप्टिकल फाईबर केबिल मोटर मार्ग RoW (right of way) के भीतर ही बिछाई जायेगी । उक्त मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 निर्गत होने से पूर्व किया गया था, जिस कारण वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। किन्तु उक्त मोटर मार्ग की चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये हैं, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/296/2010/एफ0सी0/2272, दिनांक–19.01.2010 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/34/2017/एफ0सी0/1065, दिनांक–22.09.2017 से पूर्व में ही प्राप्त हैं, जो कि आपके अवलोकन हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः–यथोपरि ।

भवदीय

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

संख्या :– / , **तददिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक–161/12–1, दि0–12.07.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0522–2326696

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/296/2010/एफ.सी./2272

दिनॉक: 19.01.2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वन,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

विषयः जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 ऋषिकेश – धरासू के किमी0 132.5819 से किमी0 143.350 तक के विस्तारीकरण हेतु 11.138 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1188/1जी–3227 (उत्तर0) दिनॉक 09.11.2010

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त प्रस्ताव को दिनांक– 03.12.2010 को जनपद देहरादून में आहूत की गयी राज्य सलाहाकार समूह की बैठक में सम्मिलित किया गया। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 ऋषिकेश – धरासू के किमी0 132.5819 से किमी0 143.350 तक के विस्तारीकरण हेतु 11.138 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन एवं 1081 वृक्षों के पातन सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 22.276 हे0 नागनी सौर एवं नागनी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है, जिसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे छः माह में आरक्षित/संरिक्षत वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के करने पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के आस–पस रिक्त स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 5 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा किया जायेगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1594, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

भूमि के हस्तान्तरण एवं अन्य उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(वाई0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति0 वन महानिदेशक, (एफ.सी), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि संर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
4. कमान अधिकारी, 1442 सेतु निर्माण ईकाई (ग्रेफ) द्वारा 56 डाकघर, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली ।

24/1/2011

(वाई0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/34/2017/एफ0सी0 /1065 दिनांक: 22/09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 16.971 ha of forest land for rehabilitation and up gradation to 2Lane/2Lane with paved shoulders configuration and strengthening of NH-94 from km 122.00 (Dharasu Band) to Km 147.00 (Silkyara Band) in favour of Ministry of Road Transport and Highways within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, District Uttarkashi in the State of Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/24549/2017).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/24549/2017 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 416/X-4-17/1(53)/2017 दिनांक 03.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/24549/2017 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 11.08.2017 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार Diversion of 16.971 ha of forest land for rehabilitation and up gradation to 2Lane/2Lane with paved shoulders configuration and strengthening of NH-94 from km 122.00 (Dharasu Band) to Km 147.00 (Silkyara Band) in favour of Ministry of Road Transport and Highways within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, District Uttarkashi in the State of Uttarakhand हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 34.00 है0 Nagungad, Compartment No. 7A वन भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। **धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।**
5. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide original hard copy of FRA certificate.

P.T.O.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगीः--**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमाकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. निर्माण के पश्चात् जहा-जहां सभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एव स्टॉफ के लिये रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 2915 से अधिक न हो।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एव निर्दिष्ट स्थानो के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक